

न्यायालय:- अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या- 02, भरतपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: सीताराम मीना, RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

नियमित दीवानी अपील सं. :- 02/2023



सीआईएस नंबर :- 06/2023

मदनलाल पुत्र मवासी उर्फ छिद्दा निवासी ग्राम खरैरा तहसील व जिला
भरतपुर

-वादी/अपीलार्थी

बनाम

1- गोरधन पुत्र निहाल

2- पूर्णप्रकाश पुत्र गोरधन

निवासी ग्राम खरैरा तहसील व जिला भरतपुर

-- प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16-12-2022 द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या-03, भरतपुर पीठासीन अधिकारी श्री दूडाराम खोंकर, RJS वमुकदमा नियमित दीवानी संख्या 24/2021 (CIS 454/2016) उनवानी मदनलाल बनाम गोरधन वगैरह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:-

1- श्री राजेन्द्रसिंह बंशीवाल, अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी की ओर से

2- श्री लक्ष्मणसिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से

:- निर्णय -:

दिनांक:- 24.03.2026

01. अपीलार्थी/वादी द्वारा यह अपील विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या-03, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.2022 से व्यथित होकर माननीय जिला न्यायाधीश, भरतपुर के न्यायालय में दिनांक 25.01.2023 को पेश की गई, जो माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर द्वारा के आदेश दिनांक 27.01.2023 द्वारा इस न्यायालय में अन्तरित किये जाने पर दिनांक 30.01.2023 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। आलोच्य निर्णय व डिक्री द्वारा वादी का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज किया गया। जिसको चुनौती देते हुए यह अपील अपीलार्थी/वादी की ओर से पेश की गयी है, जिसका एतद्द्वारा निर्णय किया जा रहा है। साथ ही अपीलार्थी की



ओर से अपील पेश करने में हुई देरी बाबत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश किया है, जिसका भी अपील के साथ निस्तारण किया जा रहा है।

02. वादपत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का पुश्तैनी पुख्ता मकान व खाली जगह वाके ग्राम खडैरा तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जो कि आबादी में बना हुआ है जिसका वादी करीब 40 साल से पुश्तैनी रूप से उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है जिसका नक्शा संलग्न वादपत्र है। जिसमें मकान पुख्ता को रंग पीला से दर्शित किया गया है तथा खाली जगह को रंग सुर्ख मार्क एबीसीडी से दर्शित किया गया है तथा सीमा व नाप वादपत्र की मद संख्या एक में वर्णित की गई हैं। वादी के विवादित भूखण्ड रंग सुर्ख मार्क एबीसीडी में वादी के मकान का गेट खुलता है तथा इसमें कुछ जगह पर नीव खुदी हुई है बबूल के पेड पडे हुए है। जिसका वादी पूर्ण मालिक व काबिज एवं स्वामित्य व आधिपत्यधारी है और पूर्ण रूप से आबादी में है जिसका पुश्तैनी रूप से उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त विवादित भूखण्ड से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण उक्त भूखण्ड को जबरदस्ती लटठ के बल पर हडपना चाहते हैं तथा वादी को कब्जे से बेदखल करना चाहते है। दिनांक 30.06.16 को वादी अपनी भूखण्ड की अधूरी पडी नीव को खोद रहा था तो प्रतिवादीगण अपने हाथों में लाठी डण्डा लेकर आये और आते ही वादी को नीव खोदने से रोक दिया और लटठ के बल पर कब्जा करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। अंत में वाद कारण, क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार, उचित कोर्ट फीस एवं मियाद के बिन्दु बताते हुए प्रार्थना की है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादपत्र की चरण संख्या-1 में वर्णित व नक्शा में बरंग सुर्ख मार्क एबीसीडी में से वादी को कब्जे से बेदखल नहीं करें नीव खोदने से नहीं रोके तथा उसके उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करे और न ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे वादी के अधिकारों पर विपरीत असर पडे तथा किसी प्रकार वादी के उपयोग उपभोग में मदाखलत मजाहमत न करे, खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।



03. प्रतिवादीगण ने जवाब वादपत्र पेश कर अभिकथित किया कि वादी के स्वामित्व का कोई पुश्तैनी पुख्ता मकान व खाली जगह ग्राम खडैरा तहसील व जिला भरतपुर में स्थित नहीं है। वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित सीमा व नाप की कोई खाली जगह मौके पर मौजूद नहीं है। वादी का कोई भूखण्ड आबादी भूमि में स्थित नहीं है। ऐसी सूरत में वर्णित भूखण्ड के उपयोग व उपभोग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में जिस भूखण्ड को वर्णित किया है वह प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 122/0.41 का भाग है। वादी द्वारा जबरन प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 122/0.41 में नींव खोदी गई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 337/16 थाना सेवर पर सहखातेदार प्रमोद कुमार द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसमें बाद अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी द्वारा वादी व उसके पुत्रों को आरोपी मानते हुए न्यायालय एसीजेएम 3 भरतपुर के यहां धारा 447 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को कोई धमकी दिनांक 30.06.16 या अन्य कभी भी नहीं दी गई है। वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। वादी स्वयं ग्राम खडैरा का मूलतः वासिन्दा नहीं है। केवल वादी की शादी ग्राम खडैरा में हुई है। वादी की पत्नी का नाम शान्ति पुत्री मवासी है जबकि वादी ने न्यायालय के समक्ष असत्य कथन मदनलाल पुत्र मवासी कर वादपत्र प्रस्तुत किया है जिसके परिप्रेक्ष्य में वादी ने झूठा शपथ पत्र दिया है जो एक दण्डनीय अपराध है व वादपत्र काबिल खारिजी है। विवादित भूमि कृषि भूमि होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है इसलिए न्यायालय को वादपत्र को सुने जाने व निर्णीत किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है और वादपत्र काबिल निरस्तनीय है। वादी का प्रतिवादीगण की भूमि में अवैध व अनाधिकृत प्रवेश होने के कारण वादपत्र चलने योग्य नहीं है तथा वर्णित विवादित भूमि प्रतिवादीगण के आराजी खसरा 122/0.41 का भाग होने के कारण वादपत्र काबिल खारिजी है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित विवादित भूखण्ड से सम्बन्धित पूर्व में ही एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहां विचाराधीन होने के कारण प्रस्तुत वाद काबिल खारिजी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा दिनांक 12.07.16 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बावजूद वादी व उसके पुत्रगण द्वारा प्रतिवादीगण व अन्य की आराजी खसरा नम्बर 122/0.41 कृषि भूमि में न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करते हुए जबरन अवैध रूप से प्रवेश कर नींव खोद कर निर्माण कार्य करना प्रारम्भ कर



दिया जिसकी अवज्ञा करने का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के यहां पेश किया जा चुका है जो विचाराधीन है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थना की है कि वादी का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं हर्जा खास 20,000 रुपये वादी से प्रतिवादीगण को दिलाया जावे।

04. उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई:-

- 1- आया वादी वादपत्र की मंद संख्या 1 में वर्णित आस पडौस नाप चौप तथा संलग्न नजरी नक्शा में एबीसीडी मार्क से दर्शित विवादित जगह पर स्वामी होने के नाते वैध कब्जा धारी है? --वादी
- 2- आया प्रतिवादीगण विवादित एबीसीडी जगह में वादी के कब्जे में जबरन बाधा व दखलन्दाजी बिना किसी हक अधिकार के कर रहे हैं ?वादी
- 3- आया विवादित जगह कृषि भूमि है, जिसके सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में वाद लंबित है। अतः वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में न होकर राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में है ? ---प्रतिवादीगण

4- अनुतोष ?

05. वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में पी.डब्ल्यू-1 मदनलाल, पी.डब्ल्यू-2 करनसिंह की मौखिक साक्ष्य लेखबद्ध करायी गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा प्रदर्श-1 को प्रदर्शित करवाया गया। प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य में डी.ड.-1 गोरधन सिंह, डी.ड.-2 बदनश्याम शर्मा के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श ए-1, वादपत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए-2, आदेशिका प्रदर्श ए-3, प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट प्रदर्श ए-4, आदेशिका दिनांक 01.08.16 प्रदर्श ए-5, एफआईआर नम्बर 337/16 थाना सेवर प्रदर्श ए-6, पैमाइश रिपोर्ट प्रदर्श ए-7, आदेशिका प्रदर्श ए-8, प्रदर्श ए-9, प्रदर्श-10, वकालतनामा प्रदर्श ए-11, चार्जशीट प्रदर्श ए-12, नक्शा मौका प्रदर्श ए-13, मौका पर्चा प्रदर्श ए-14, पत्र प्रदर्श ए-15; पुलिस बयान प्रदर्श ए-16 लगायत प्रदर्श ए-19, दावा प्रदर्श ए-20, आदेशिका दिनांक 7.9.16 प्रदर्श ए-21, प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट प्रदर्श ए-22, खसरा गिरदावरी प्रदर्श ए-23, खसरा पत्रक प्रदर्श ए-24, आदेशिका प्रदर्श ए-25, आदेशिका प्रदर्श ए-26, जमाबंदी 2043 से 2062 प्रदर्श ए-27, जमाबंदी सम्वत् 2030 प्रदर्श ए-28 जमाबंदी सम्वत्



- 2068 से 2071 प्रदर्श ए-29, सम्मन प्रदर्श ए-30, जवाब दावा मुकदमा पूरन प्रकाश बनाम मदन वगैरह प्रदर्श ए-31 को प्रदर्शित करवाया गया।
06. तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों से बहस अंतिम सुनकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी की ओर से यह अपील पेश की गई है। जिसपर इस न्यायालय का समीक्षात्मक निर्णय निम्न प्रकार है।
07. सर्वप्रथम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5(14) मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित है। इस बाबत विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि उसके द्वारा निर्णय की नकल प्राप्त करने के समय सहवन से डिक्री की नकल प्राप्त नहीं की गई थी। इस कारण अपील पेश करने में देरी हुई है। अतः अपील पेश करने में हुआ बिलम्ब क्षम्य किये जाने योग्य है। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी का तर्क रहा है कि अपील पेश करने में जान बूझकर देरी की गई है। अतः प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाये।
08. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र के संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया जाये तो विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.2022 को पारित करने के पश्चात अपीलार्थी की ओर से यह अपील दिनांक 25.01.2023 को पेश की गई थी। अपील पेश करने में हुए बिलम्ब का कारण सहवन से निर्णय की नकल के साथ डिक्री की नकल प्राप्त नहीं करने और इस बाबत दिनांक 17.01.2023 को नकल हेतु आवेदन पेश करने, दिनांक 21.01.2023 को नकल प्राप्त होने दिनांक 22.01.2023 को रविवार का अवकाश होने एवं दिनांक 23 व 24 जनवरी 2023 को अपीलार्थी के अधिवक्ता का बाहर होने के कारण अपील पेश करने में बिलम्ब कारित होना बताया गया है। जिसके संबंध में स्वयं अपीलार्थी का शपथपत्र भी पेश किया गया है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त कारणों को देखते हुए अपील पेश करने में हुए बिलम्ब को न्यायहित में माफ किया जाता है।
09. अपील के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी का तर्क रहा है कि विवादित स्थल पर अपीलार्थी लम्बे समय से काबिज है। विवादित स्थल वादी की पैत्रिक सम्पत्ति है। उक्त विवादित स्थल आबादी भूमि है। जिस पर आस-पास काफी परिवार रहते हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी/वादी की ओर से स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद पेश किया गया था। जिसमें स्वामित्व साबित करना आवश्यक नहीं है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष की स्वामित्व का प्रश्न



विवादित है और वादी स्वामित्व की घोषणा के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, विधितः त्रुटिपूर्ण है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी/वादी के विरुद्ध रंजिशवश जमीन हड़पने के लिए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया था। उनका यह भी तर्क रहा है कि विवादित स्थल की भूमि कृषि आराजी होने के संबंध में तनकी संख्या-3 प्रतिवादी साबित नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में विवादित स्थल आबादी भूमि होकर वादी के आधिपत्य की नहीं मानकर विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर वादी का वाद डिक्री किया जाये।

10. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादी का तर्क रहा है कि विवादित स्थल पर अपीलार्थी/वादी का कोई कब्जा नहीं है, ना ही विवादित स्थल वादी की पैत्रिक जमीन होकर उसके स्वामित्व की है। अपीलार्थी दूसरे गांव का रहने वाला व्यक्ति है। अतः विवादित स्थल वादी की पैत्रिक सम्पत्ति होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विवादित स्थल अपीलार्थी के आधिपत्य व कब्जे में होने का तथ्य स्वयं अपीलार्थी/वादी को साबित करना था। इसके संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। विवादित स्थल प्रत्यर्थी के खाते की जमीन का भाग है। जिसके बाबत तहसीलदार द्वारा की गई पैमाईश व जांच रिपोर्ट साक्ष्य में पेश नहीं की गई है। जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय के समक्ष भी दोनों पक्षों द्वारा प्रकरण दर्ज करवाये गये हैं। इन तथ्यों को छिपाते हुए अपीलार्थी/वादी की ओर से न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य का सही प्रकार से विवेचन करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। लिहाजा अपील अस्वीकार कर खारिज की जाये।
11. उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं संबंधित विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। पेश सम्मानीय न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के संबंध में इस न्यायालय का समीक्षात्मक निर्णय निम्न प्रकार है ?



12. विवाद्यक संख्या-1 व 2 :-

- 1- आया वादी वादपत्र की मंद संख्या 1 में वर्णित आस पडौस नाप चौप तथा संलग्न नजरी नक्शा में एबीसीडी मार्क से दर्शित विवादित जगह पर स्वामी होने के नाते वैध कब्जा धारी है? --वादी
 - 2- आया प्रतिवादीगण विवादित एबीसीडी जगह में वादी के कब्जे में जबरन बाधा व दखलन्दाजी बिना किसी हक अधिकार के कर रहे हैं ?वादी
13. तनकी सं.-1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी सं. 1 व 2-एक दूसरे से संबंधित है। अतः साक्ष्य का दोहराव रोकने एवं सुविधा की दृष्टि से दोनों तनकियात का एक साथ निस्तारण करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है।
14. उक्त दोनों तनकियात के संबंध में वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में अंकित अभिवचनों को देखा जाए तो यह अभिकथित किया गया है कि वाद वर्णित विवादित स्थल जिसे संलग्न नक्शे में रंग सुर्ख मार्क एबीसीडी से दर्शित किया गया है, वह वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का है, जो पूर्ण रूप से आबादी में है। जिसको वादी पुश्तैनी समय से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जबावदावे में यह तथ्य अभिकथित किया गया है कि वादी द्वारा अपने वादपत्र में जिस भूखण्ड को वर्णित किया है, वह प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नंबर 122/0.41 का भाग है।
15. वादी की ओर से वादपत्र में वर्णित अभिवचनों के समर्थन में स्वयं वादी गवाह पी.ड.-1 मदनलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथपत्र में वाद वर्णित तथ्यों का दोहराव किया है। साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श-1 पेश किया है। वादी की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड.-2 करनसिंह ने स्वयं की मुख्य परीक्षा के शपथपत्र में मदनलाल का पुख्ता मकान ग्राम खडैरा में 50 साल से होना, उसकी बगल में खाली जगह होने जिसमें मदनलाल के मकान का गेट खुलना, उसमें बबूल का पेड़ खड़ा होना व कुछ जगह नींव खुदी होना, जिसका करीब 40 साल से पूर्ण मालिक व काबिज होना व उपयोग उपभोग में लेना कहा है। जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में गवाह डी.ड.-1 गोरधन ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथपत्र में जबावदावा में वर्णित तथ्यों का दोहराव किया है तथा पूर्व में वर्णित दस्तावेज पेश किए गए हैं। प्रतिवादी की ओर से गवाह डी.ड.-2 बदनश्याम शर्मा ने वादी मदनलाल को ग्राम उच्चैन का



निवासी होना एवं उसके पिता का नाम छिद्दा होना, वादी की शादी ग्राम खडैरा में होना व वादी के ससुर का नाम मवासी होना एवं मवासी की एकमात्र वारिस मवासी की पुत्री शांति होना बताया है। साथ ही विवादित भूखण्ड खसरा नंबर 122/0.41 का भाग होकर कृषि भूमि होना, जो प्रतिवादीगण की भूमि होना जिस पर वादी का कोई स्वामित्व व आधिपत्य नहीं होने का कथन किया है।

16. वादी की ओर से वादपत्र में लिए गए अभिवचनों के संबंध में यह देखना है कि क्या विवादित स्थल वादी के पुश्तैनी कब्जे की जगह होकर उसके स्वामित्व व आधिपत्य का है, जिसका वादी उपयोग करता आ रहा है। इस संबंध में वादी गवाह पी.ड.-1 मदनलाल ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसका पैत्रिक गांव उच्चैन है तथा खरैडा में उसकी ससुराल है। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता की जमीन जायदाद उच्चैन में है जो उसके बड़े भाई भोगीलाल के पास है। इस प्रकार वादी एक तरफ तो वाद वर्णित विवादित स्थल को स्वयं की पैत्रिक जायदाद होना बताकर आया है, वही प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट कथन करता है कि उसकी पैत्रिक जायदाद उच्चैन में है। साथ ही स्वयं को उच्चैन का ही निवासी होना बताता है और अपने पिता का नाम छिद्दा होना बताता है और ससुर का नाम मवासी होना स्वीकार करता है। अतः विवादित स्थल जिस गांव खरैरा में स्थित है, वहां वादी की पैत्रिक जायदाद किस प्रकार है यह उक्त गवाह के कथनों से स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्राम खरैडा में वाद वर्णित विवादित जायदाद उसकी पैत्रिक होने का तथ्य स्वयं वादी गवाह द्वारा किये गये कथनों से ही साबित नहीं माना जा सकता है।
17. इसके अतिरिक्त स्वयं वादी गवाह पी.ड.-1 मदनलाल यह भी स्वीकार करता है कि उसकी वल्लिद्यत अर्थात् उसके पिता का नाम छिद्दा है तथा उसके ससुर का नाम मवासी है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने ससुर मवासी का नाम पिता के रूप में अंकित करके वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः इस आधार पर भी विवादित जायदाद वादी की पैत्रिक जायदाद होने के संबंध में उसके द्वारा दी गई साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।
18. वादी की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड.-2 करनसिंह ने वादी मदनलाल के पूर्व पश्चिम दोनों तरफ रास्ता होना बताया है। साथ ही मदनलाल द्वारा जमीन खरीदने से इंकार किया है और पुरानी जमीन होना बताया है। इस गवाह ने यह भी कहा है कि मदनलाल के ससुर मवासी का मकान विवादित जगह से एक दो घर छोड़कर है। लेकिन इस गवा के



- कथनों से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि विवादित स्थल पर वादी का कब्जा किस हैसियत से है तथा किस प्रकार से उसे उक्त भूमि प्राप्त हुई है।
19. इसी क्रम में यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी की ओर से गवाह डी.ड.-1 गोरधन के कथनों के दौरान दोनों पक्षों के मध्य राजस्व न्यायालय के समक्ष दायर प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज तथा स्वयं वादी गवाह पी.ड.-1 मदनलाल द्वारा कहे गये कथनों से यह स्पष्ट है कि विवादित स्थल को लेकर दोनों पक्षों के मध्य राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर हुए हैं। जिससे राजस्व न्यायालय के समक्ष स्वामित्व संबंधी विवाद लंबित होना भी स्पष्टतः प्रकट होता है। यह भी स्पष्ट है कि विवादित स्थल के संबंध में वादी द्वारा कोई स्वामित्व का दस्तावेज पेश नहीं किया है और न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि विवादित स्थल बाबत उसे स्वामित्व व आधिपत्य किस प्रकार से प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत पैमाईश रिपोर्ट प्रदर्श ए-7 को स्वयं वादी गवाह द्वारा स्वीकार किया गया है। जिसमें वादी द्वारा खसरा नंबर 122 में मकान बना लेना अंकित किया है। उक्त खसरा नंबर 122 प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में होने बाबत जमाबंदी प्रदर्श ए-1 पेश की गई है।
20. इसके अतिरिक्त वादी विवादित जमीन को स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की होना बताकर आया है तो उक्त तथ्य साबित करने का भार वादी पर ही है लेकिन इस संबंध में वादी की ओर से कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसे विवादित जायदाद किससे, किस प्रकार व कब प्राप्त हुई थी।
21. जहां तक अधिवक्ता अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि वादी की ओर से स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद पेश किया गया है, जिसमें स्वामित्व साबित करना आवश्यक नहीं है। उक्त तर्क पर विचार किया जाये तो मेरे विनम न्यायिक मतानुसार स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वैध एवं सुस्थापित कब्जा साबित करना आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में भी वैध एवं स्थापित कब्जा साबित करने के क्रम में स्वामित्व एवं आधिपत्य भी देखा जाना आवश्यक है। अतः विवादित भूमि के संबंध में वादी का स्वामित्व विवादित होना एवं दोनों पक्षों के मध्य राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद लंबित होने के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया यह निष्कर्ष कि स्वामित्व की घोषणा का अनुतोष मांगे बिना वादी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है, पूर्णतया विधिसम्मत है।



22. विवादित भूमि आबादी भूमि में होने के संबंध में वादी की ओर से कोई दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये हैं। जहां तक अपीलार्थी अधिवक्ता का यह तर्क है कि विवादित स्थल की भूमि कृषि आराजी होने के संबंध में तनकी संख्या-3 प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाया है। अतः विवादित स्थल की भूमि आबादी की भूमि होकर वादी के आधिपत्य की नहीं मानकर विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की गई है। तो इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि वादी को अपना मामला स्वयं अपनी साक्ष्य से साबित करना होता है, वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त तनकी संख्या-3 न्यायालय के श्रवणाधिकार बाबत है। अतः इस संबंध में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दिया गया यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
23. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या-1 व 2 के संबंध में जो निष्कर्ष लिया गया है, वह निष्कर्ष पूर्णतया विधिसम्मत है। जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादी के विरुद्ध निर्णीत किये जाते हैं।
24. **विवाद्यक संख्या- 3 :**
आया विवादित जगह कृषि भूमि है, जिसके सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में वाद लंबित है। अतः वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में न होकर राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में है ? ---प्रतिवादीगण
25. इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। जो प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत की गई है। लेकिन इस तनकी के संबंध में अपीलार्थी/वादी की ओर से तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है। अतः इस तनकी पर कोई निष्कर्ष दिया जाना उचित नहीं है।
26. **विवाद्यक संख्या- 4:-अनुतोष :-**
प्रकरण में तनकी संख्या-1 व 2 वादी के विरुद्ध निर्णीत की गई है। अतः वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य पाया जाता है एवं अपीलार्थी/वादी की अपील खारिज किए जाने एवं विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:- आ दे श :-

27. परिणामतः अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील दिनांकित 25.01.2023 अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय/डिक्री दिनांकित 16-12-2022 की पुष्टि



की जाती है। अपील का खर्चा उभय पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे। तदनुसार अपील न्यायालय का डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय सत्यप्रति के साथ विद्वान् विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(सीताराम मीना)

अपर जिला न्यायाधीश

संख्या-02, भरतपुर

28. निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(सीताराम मीना)

अपर जिला न्यायाधीश

संख्या-02, भरतपुर